

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 363]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 3 सितम्बर 2015—भाद्र 12, शक 1937

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2015

क्र. एफ-5-4-2012-अठावन.—राज्य शासन, मध्यप्रदेश फल पौध रोपणी (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 8 (1) (ख) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश फल पौध रोपणी (विनियमन) अधिनियम, 2010 के परिचालन हेतु स्थापित मध्यप्रदेश फल पौध रोपणी (विनियमन) नियम, 2011 के संदर्भ में पंजीकृत शासकीय/निजी रोपणियों से विक्रय किये जाने वाले निम्नांकित फल-पौधों की वर्ष 2015-16 के लिए अधिकतम दर कॉलम क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार घोषित करता है. यह दरें आगामी अधिसूचना प्रकाशित होने तक प्रभावशील रहेंगी:—

क्रमांक (1)	नाम फल-पौध (2)	वर्ष 2015-16 में दर प्रति फल-पौध (3)
1	आम कलमी (सभी किस्में)	50/-
2	आम बीजू	15/-
3	अमरूद गूटी	30/-
4	अमरूद बडेड	35/-
5	अमरूद बीजू	15/-
6	नींबू गूटी	25/-
7	नींबू बीजू	15/-
8	मौसम्बी बडेड	40/-
9	संतरा बडेड	40/-
10	कटहल बीजू	15/-
11	सीताफल बीजू	15/-
12	अनार गूटी	30/-
13	अनार टिशुकल्चर	40/-

(1)	(2)	(3)
14	जामून बीजू	15/-
15	फालसा बीजू	15/-
16	शहतूत (रूटेट कटिंग)	15/-
17	ऑवला बडेड	30/-
18	ऑवला बीजू	15/-
19	चीकू (ग्राफिंग)	40/-
20	बेर बडेड	25/-
21	करौंदा बीजू	10/-
22	पपीता पौध बीजू (सभी उन्नत किस्में)	15/-
23	पपीता संकर किस्में बीजू	20/-
24	केला कन्द	10/-
25	केला टिशुकल्चर	20/-
26	लीची गूटी	50/-
27	अंगूर रूटेट कटिंग	15/-
28	नाशपाती बडेड	25/-

उपरोक्त दरें आगामी अधिसूचना जारी/प्रकाशित होने तक प्रभावशील रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मगदली खलखो, उपसचिव.